संख्याः 87 / XVII(1) / 2005–10(बजट) / 2004.

प्रेषक,

एस. के. मुटटू,
प्रमुख सचिव एवं
उत्तरांचल शासन.

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण विभाग
हल्द्वानी(नैनीताल)

समाज कल्याण अनुभाग देहरादूनः दिनांक 14 जनवरी 2005.

विषयः अनुसूचित जाति हेतु जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना के कियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत ही है कि गरीबी उन्मूलन देश की शीर्ष प्राथमिकता है। जीविकोपार्जन प्रोत्साहन सरकार के गरीबी उन्मूलन के प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मूलतः गरीबी उन्मूलन हेतु ग्राम्य विकास विभाग उत्तरादायी है। अब ग्राम्य विकास विभाग स्वयं सहायता समूह को ही जीविकोपार्जन हेतु रोजगार उपलब्ध कराता है और व्यक्तिगत रोजगार की योजनाऐं समाप्त कर दी गई हैं। अनुसूचित जाति के लोगों को संविधान द्वारा प्रदत्त आर्थिक सुरक्षा एवं उत्थान हेतु समाज कल्याण विभाग उत्तरदायी है। समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तिगत एवं सामूहिक रोजगार के अवसर विकसित करने हेतु यह योजना प्रस्तावित की गई है। इस लक्ष्य की प्राप्ति इन वर्गो के सन्दर्भ में सूचना संकलन, ऋण सुविधा का प्राविधान, शासकीय अनुदान, कौशल वृद्धि प्रशिक्षण अवस्थापना विकास एवं संरचनात्मक रूप से सहयोग सेवाएं प्रदान करने पर निर्भर है।

कार्यदायी संस्थाः

"उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम" केन्द्र एवं राज्य सरकार का उपक्रम है। जनपद स्तर पर समाज कल्याण विभाग के जिला समाज कल्याण अधिकारी निगम के जिला प्रबन्धक हैं। जबकि मुख्यालय स्तर पर निगम के कियाकलाप प्रबन्ध निदेशक द्वारा एक महा प्रबन्धक एवं दो उपमहा प्रबन्धकों के सहयोग से सम्पादित किए जाते हैं। इस निगम को शासन द्वारा नियंत्रित होने तथा व्यवसायिक संस्थाओं एवं बाह्य सहायातित ऋण एवं अनुदान प्राप्त करने के विशिष्ट लाभ प्राप्त हैं।

योजना का स्वरूपः

1. **सूचना संकलनः** सूचना संकलन हेतु पारिवारिक प्रश्नावली के माध्यम से सर्वेक्षण, लक्षित समूह एवं जन प्रतिनिधियों के अभिमत जानने हेतु गोष्ठियों, बैठकों, कार्यशालाओं के आयोजन एवं अन्य अध्ययनों का निष्पादन किया जायेगा। सूचना संकलन के अन्तर्गत समय–समय पर बाजार सर्वेक्षण एवं दक्षता परीक्षण आर्थिक कियाकलापों एवं व्यवसायों की निदर्शिनी भी तैयार की जायेगी।

2. **ऋणः** वर्तमान में दो मुख्य स्रोतों क्रमशः बैंक एवं अनुसूचित जाति व सफाई कर्मचारी हेतु गठित राष्ट्रीय वित्त एवं विकास निगमों से ऋण प्राप्त करना प्रस्तावित है। बैंकों से ऋण प्राप्त करने हेतु लीड़ बैंक अधिकारी तथा राष्ट्रीय निगमों से धनराशि प्राप्त करने के लिए राज्य स्तरीय कार्यदायी संस्था उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लि. की भूमिका निर्धारित की जाती है।

उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम उपरोक्त स्रोतों के इतर बाह्य स्रोतों से भी ऋण प्राप्त करने का प्रयास करेगा। वर्तमान में राज्य स्तरीय एजेन्सी राष्ट्रीय निगमों से प्राप्त ऋण धनराशि जिसे एजेन्सी द्वारा पुनः लाभार्थियों में ऋण के रूप में वितरित किया जाता है, से 3% ब्याज अर्जित करता है। इस परियोजना में कार्यदायी संस्था को प्रति वर्ष एकमुश्त रु. 10.00 लाख की धनराशि बाह्य स्रोतों से वित्तीय संसाधन जुटाने, परियोजनाओं के निर्माण, अभिनव परियोजनाओं के विकास एवं वैकल्पिक व्यवसायों में ऋण की सम्भावनाओं को ज्ञात करने हेतु अध्ययन के लिए प्रदान की जायेगी। यह महत्वपूर्ण है कि लक्षित समूह को आर्थिक उत्थान के लिए दिए जाने वाले ऋण से उनका जीवन स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इस लिए वित्तीय संसाधनों के सदुपयोग एवं आर्थिक रूप से उपादेय क्रियाकलापों का संचालन तथा स्वस्थ आर्थिक वातावरण विकसित करने हेतु पृथक से इन वर्गो के लिए कौशल वृद्धि हेतु प्रशिक्षण एवं अवस्थापना निर्माण के लिए धनराशि का प्राविधान किया जाना आवश्यक है। वस्तुतः वित्तीय संसाधनों के सदुपयोग के लिए लाभार्थी का चयन एक प्रमुख कारक है। इस लिए एक त्रिस्तरीय रणनीति प्रस्तावित है। प्रथमतः आवेदक हेतु रोजगार अभिमुखी कार्यक्रम का संचालन जिसके अन्तर्गत आवेदक को व्यवसायिक वातावरण से परिचित कराया जायेगा एवं उसके साथ ही उस की अभिरूचि, समर्पण और प्रस्तावित रोजगार के सन्दर्भ में उसकी समझ का आंकलन भी किया जायेगा। तत्पश्चात् चयन समिति के माध्यम से लाभार्थी का चयन। यद्यपि वर्तमान में भी चयन हेतु चयन समिति का गठन किया गया है किन्तु चयन समिति के संरचना में संशोधन की आवश्यकता है। अब चयन समिति में एक ऐसे सफल उद्यमी जिसने ऋण की सुविधा का सही उपयोग किया हो, को सम्मिलित किया जायेगा। चयन समिति में प्रस्तावित उद्यमी उसी व्यवसाय से सम्बन्धित होगा जिस व्यवसाय की स्थापना हेतु आवेदकों का साक्षात्कार किया जाना है। उदाहरण स्वरूप टूरिस्ट टैक्सी ऋण के इच्छुक लाभार्थियों के चयन में एक सफल टूरिस्ट टैक्सी चालक को ही चयन समिति में सम्मिलित किया जाएगा। तृतीय, ऋण नीति के तहत उपयुक्त आवेदकों का साक्षात्कार एवं चयन किया जाएगा। चयन समिति निम्नवत् होगी:–

1. लीड़ बैंक अधिकारी।
2. समाज कल्याण अधिकारी द्वारा नामित ऋण/योजनाधिकारी जो समाज कल्याण अधिकारी का अधिनस्थ कर्मचारी होगा।
3. सफल उद्यमी।
4. आर्थिक गतिविधि से सम्बन्धित विभागीय प्रतिनिधि(यथा–डेरी योजना के लिए पशुपालन विभाग का प्रतिनिधि) जो आर्थिक गतिविधि किसी विशिष्ट विभाग से सम्बन्धित नहीं होगी उसके सन्दर्भ में जिला उद्योग केन्द्र का प्रतिनिधित साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा।

यह चयन समिति आवश्यकतानुसार अधिक से अधिक बार चयन की कार्यवाही निष्पादित करेगी किन्तु सप्ताह में कम से कम दो नियत दिनों में चयन समिति आवश्यक चयन की कार्यवाही सम्पादित करेगी। यह चयन समिति प्रत्येक विकास खण्ड़ में कम से साक्षात्कार की कार्यवाही प्रतिमाह कम से कम एक बार आयोजित करेगी। इस प्रकार यदि किसी एक माह में चयन समिति

द्वारा केवल दो बैठकें की जाती हैं, तो एक बैठक जिला मुख्यालय में तथा दूसरी बैठक विकास खण्ड मुख्यालय में आयोजित की जाएगी।

उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से वितरित किए जाने वाले ऋण हेतु आय की पात्रता पूर्ववत् गरीबी रेखा के दुगुनी आय सीमा के समतुल्य होगी। जब कि बैंक से लिए जाने वाले ऋण हेतु आय की कोई सीमा निर्धारित नहीं की जाएगी। इस योजना में बैंक द्वारा मांगे जाने वाले मार्जिन मनी ऋण जो निगम द्वारा दिया जायेगा, की सीमा 50% होगी किन्तु गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्ति के मामले में बैंक द्वारा मांगे गये मार्जिन मनी ऋण की शत–प्रतिशत धनराशि निगम द्वारा दी जाएगी। मार्जिन मनी ऋण में ब्याज की दर मूलधन के बराबर होगी। मार्जिन मनी ऋण की वसूली भी बैंक के द्वारा अपने ऋण के साथ ही की जायेगी और वसूल किए गए मार्जिन मनी ऋण धनराशि को उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम के खाते में जमा करेगी जिसे निगम प्रतिमाह जनपद मुख्यालय में राजकीय कोषागार में जमा करेगा। मार्जिन मनी ऋण उन्हीं बैंकों के ऋण के साथ दिया जाएगा जो बैंक उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम के द्वारा निर्धारित शर्तों से सहमत होंगे। शासन द्वारा अवमुक्त अनुदान को उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम द्वारा आहरण के उपरांत बैंक में ब्याज रहित खाते में जमा कराया जाएगा। इस खाते से सम्बन्धित बैंक आवश्यकतानुसार निगम द्वारा प्रायोजित अनुसूचित जाति के लाभार्थी को मार्जिन मनी ऋण वितरण करेगा।

उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम द्वारा 06 माह के भीतर वसूली योग्य कन्जप्सन लोन (उपभोक्ता ऋण) भी दिए जा सकते हैं। यह ऋण केवल महिलाओं को देय होंगे। ऋण वितरण महिलाओं के ऐसे स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से किया जाएगा जो समूह शासन के किसी विभाग द्वारा प्रायोजित/प्रोत्साहित अथवा समाज कल्याण विभाग के द्वारा संस्तुत होंगे। स्वयं सहायता समूह को यह ऋण ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दिया जाएगा जबकि स्वयं सहायता समूह अपने सदस्यों को दिए जाने वाले ऋण में ब्याज वसूल कर सकेगा और उस से हुई आय को अपने मुनाफे के रूप में उपयोग में लाएगा।। केवल ऐसे स्वयं सहागता समूह जो नाबार्ड, ग्राम्य विकास विभाग, स्वशक्ति परियोजना एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा ऋण हेतु निर्धारित मानकों की पूर्ति करते हैं, को ऋण प्रदान किया जा सकेगा। आरम्भ में प्रति स्वयं सहायता समूह के लिए रूपये 20,000 की ऋण सीमा उपलब्ध होगी। जिसे एक वर्ष बाद लाख की सीमा तक विस्तार किया जा सकेगा, बशर्ते पूर्व प्रदत्त ऋण की वसूली स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम को शत–प्रतिशत कर दी गई हो एवं समूह के व्यक्तिगत लाभार्थियों द्वारा 90% ऋण की वापसी समूह को की गई हो। स्वयं सहायता समूह ऋण वसूली की समय सीमा 06 माह से भी कम निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होगी।

3. अनुदानः तहसीलदार द्वारा सत्यापित गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को परियोजना लागत का 50% अथवा अधिकतम रू. 10,000/–प्रति परिवार का शासकीय अनुदान अनुमन्य होगा। यह भारत सरकार के वर्तमान में प्रचलित मानकों पर आधारित है। यदि ऋण साझेदारी में अथवा स्वयं सहायता समूह द्वारा आयोजित किया जाता है तो अनुदान ऐसे समूह के पात्र अनुसूचित जाति लाभार्थियों को दिया जाएगा। साझेदारी ऋण हेतु यह भी आवश्यक होगा कि उसके आधे साझेदार

अथवा आधे से अधिक साझेदार अनुसूचित जाति के होंगे जबकि स्वयं सहायता समूह जो शासकीय विभाग द्वारा प्रायोजित होगा, में 75% सदस्य पात्र अनुसूचित जाति के होंगे।

द्वितीय किश्त के सम्बन्ध में ग्राम विकास विभाग के ही नियम लागू रहेंगे। ऐसे लाभार्थी जिसने अपने आय के स्रोत बढ़ाने हेतु पूर्व में ऋण एवं अनुदान की सुविधा का उपभोग कर लिया हो किन्तु वर्तमान में भी गरीबी रेखा के नीचे आता है, ऋण एवं अनुदान हेतु तब तक पात्र माना जायेगा जब तक उसकी आय गरीबी रेखा हेतु निर्धारित आय सीमा को पार न कर ले। अनुदान निम्नवत् उपयोग में लाया जायेगा:-

(अ) जिन योजनाओं में उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम वित्त पोषक एजेन्सी होगा, अनुदान की रूपये 1000/- की धनराशि निगम के एक पृथक खाते में जमा कर दी जाएगी जिससे निगम लाभार्थी के आवेदन प्रपत्र एवं अन्य अभिलेखों को बनाने में आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति करेगा।

(ब) रुपये 2000/- की धनराशि निगम पृथक खाते जिसे "पूल्ड रिस्क फण्ड"(संगृहित आपात कोष) के नाम से खोला जाएगा, में जमा करेगा जिससे असोध्य ऋण की धनराशि का समायोजन किया जाएगा। निगम द्वारा दिया गया ऐसा ऋण असोध्य ऋण की श्रेणी में माना जायेगा जिसकी मूलधन की वसूली निरन्तर 03 वर्ष से नहीं हो पाई हो।

(स) अनुदान की रुपये 5000/- की धनराशि लाभार्थी को दो किस्तों में भुगतान की जायेगी अथवा उसके लम्बित किस्तों के सापेक्ष समायोजित की जायेगी। पहली किस्त ऋण के वसूली अवधि के आधी अवधि व्यतीत हो जाने पर देय होगी तथा दूसरी किस्त लाभार्थी द्वारा सन्तोषप्रद वसूली करने पर भुगतान की जायेगी। जिन योजनाओं में उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम द्वारा वित्त पोषण नहीं होगा उन मामलों में लाभार्थी को रुपये 5000 अनुदान के स्थान पर रुपये 6000/- भुगतान किया जायेगा क्योंकि ऐसे मामलों में अभिलेखीय व्यय में आने वाले रुपये 1000/- की आवश्यकता निगम को नहीं होगी।

(द) जिन लाभार्थियों द्वारा ऋण की किस्तें निरन्तर सयमयान्तर्गत दी जाएगीं उन्हें पूरी किस्ते भुगतान करने पर रुपये 1000/- की अनुदान धनराशि प्रोत्साहन के रूप में दी जायेगी।

(य) जिन ऋण धारकों द्वारा ऋण की वापसी सन्तोषजनक ढंग से की गई हो तथा ऋण से स्थापित योजना से इतनी आय सृजित की गई हो जिससे कि सम्बन्धित लाभार्थी ऋण वापसी के उपरांत दो वर्षो तक निरन्तर गरीबी से ऊपर बना रहे, को अतिरिक्त बोनस के रूप में रूपये 1000/- भुगतान किया जाएगा।

इस प्रकार लाभार्थियों को अनुदान की धनराशि का भुगतान उपरिलिखित शर्तो के अनुसार रुपये 5,000/-से रुपये 10,000/- की सीमा तक किया जायेगा। परन्तु ग्राम्य विकास विभाग द्वारा शिनाख्त गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को आर्थिक गतिविधियों हेतु अनुदान स्वर्णजयंती ग्राम स्वःरोजगार योजना(SGSY) से उस योजना के नियामों के अनुसार पूर्ववतः मिलती रहेगी।

4. प्रशिक्षणः ऋण धनराशि के सदुरुपयोग तथा लाभार्थी की आय बृद्धि में लाभार्थियों के प्रशिक्षण की भूमिका निःसन्देह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षण मुख्यतः तीन प्रकार के होंगेः—

1. **प्रोत्साहनवर्द्धकः** यह प्रशिक्षण लाभार्थियों की जीविका अवसरों, उपलब्ध ऋण एवं अनुदान सम्बन्धी सूचनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर केन्द्रित होगी। इस प्रशिक्षण हेतु प्रति प्रशिक्षणार्थी रुपये 100/— का व्यय प्रस्तावित किया जा रहा है। 50 प्रतिभागियों का एक समूह प्रशिक्षण हेतु निर्धारित किया जाएगा। इस प्रकार एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में रुपये. 5000/— का व्यय प्रशिक्षण हेतु निर्धारित किया जाएगा। इस प्रकार एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में रुपये 5000/— का व्यय आएगा। यद्यपि प्रशिक्षण पर आने वाले व्यय का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने हेतु प्रशिक्षणार्थियों की संख्या अधिक से अधिक रखने का प्रयास किया जाएगा तदापि 20 प्रतिभागियों के समूह में प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। प्रशिक्षण की अवधि आधा दिन होगी और प्रशिक्षण हेतु प्रतिभागियों को कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

2. **अभिमुखीकरणः** यह प्रशिक्षण ऋण हेतु आवेदन करने वाले लाभार्थियों को ऋण की प्रकिया तथा लाभार्थी द्वारा इच्छित आर्थिक गतिविधि के सम्बन्ध में लाभार्थी को समुचित जानकारी देने हेतु दिया जायेगा। यह प्रशिक्षण तीन दिन का होगा जिसमें एक—एक दिन कमशः आर्थिक गतिविधियों, ऋण प्रकिया एवं ऋण के प्रपत्र पूरे करने में सहायता के सम्बन्ध में जानकारी दी जायेगी। प्रशिक्षण हेतु प्रति प्रतिभागी रुपये 200/— व्यय किया जायेगा तथा प्रशिक्षण समूह का आकार कम से कम 10 व्यक्तियों का होगा। प्रशिक्षण जिला मुख्यालय/विकास खण्ड़ मुख्यालय में आयोजित किया जायेगा और प्रत्येक आर्थिक गतिविधि के लिए पृथक—पृथक आयोजित किया जायेगा। जहॉ ऐसा संभव न हो उन केन्द्रों में कृषित एवं कृषि से जुडी गतिविधियों, उद्योग एवं सेवा सेक्टर (यथा यातायात सेवा एवं दुकान आदि) का प्रशिक्षण पृथक—पृथक दिया जायेगा। प्रशिक्षण हेतु प्रतिभागियों को कोई मानदेय नहीं दिया जायेगा।

3. **उद्यमिता विकास प्रशिक्षणः** सफल ऋण ग्रहिताओं हेतु 15 दिन का यह प्रशिक्षण परियोजना का सफलतापूर्वक कियान्वयन हेतु दिया जायेगा। इस प्रशिक्षण के लिए प्रति प्रतिभागी अधिकतम रुपये 1000/— की धनराशि व्यय की जायेगी। प्रशिक्षण समूह का न्यूनतम आकार 10 व्यक्तियों का होगा। यह प्रशिक्षण भी चयनित आर्थिक गतिविधियों के श्रेणी के अनुसार दिया जायेगा। इसे जनपद स्तर पर आयोजित किया जाएगा। जिन जनपदों में जिला उद्योग केन्द्र अथवा राष्ट्रीय निगमों और संस्थाओं द्वारा बेहतर उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध होंगे, उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लि. इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उपयोग करेगा ताकि अनावश्यक पुनरावृति से बचा जा सके। प्रशिक्षण हेतु प्रतिभागियों को कोई मानदेय देय नहीं होगा।

4. **कौशल बृद्धि एवं कौशल पुर्नप्रशिक्षणः** यह प्रशिक्षण उन लाभार्थियों, जिनकी किसी भी आर्थिक गतिविधि की दक्षता में हास हो रहा हो, उस आर्थिक गतिविधि में नए तकनिकि में दक्ष बनाने, वर्तमान तकनिकि की दक्षता का स्तर बढ़ाने एवं सुदृढ़ करने हेतु आयोजित

किया जाएगा। यह कौशल वृद्धि प्रशिक्षण 18 से 30 वर्ष के बेरोजगार युवक जो शिक्षार्जन छोड़ चुके हैं और रोजगार के इच्छुक हों, को दिया जाएगा। प्रशिक्षण ऐसे व्यवसायों में दिया जाएगा जो समाज कल्याण विभाग के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित नहीं किए जाते हैं। प्रशिक्षण की अधिकतम अवधि 18 माह की होगी। प्रशिक्षार्थी को कोई छात्रवृति नहीं दी जाएगी तथापि जहॉ प्रशिक्षण आवासीय होगा एवं राज्य स्तरीय होगा और प्रशिक्षार्थी एकाधिक जनपदों से भाग लेंगे उस दशा में प्रशिक्षणार्थी को रहने एवं खाने की व्यवस्था हेतु प्रतिमाह रुपये 700/– का भत्ता दिया जायेगा। जनपद स्तरीय प्रशिक्षण में ग्रामीण क्षेत्र से नित्य प्रति आने वाले प्रतिभागियों को प्रतिमाह अधिकतम रुपये 250/– की सीमा तक वास्तविक बस किराये का भुगतान किया जायेगा। किसी भी प्रशिक्षण में 15 दिन की अनुपस्थिति में मात्र आधा बस किराया तथा 20 दिन से अधिक की अनुपस्थिति में उस माह हेतु कोई भी किराया देय नहीं होगा।

सम्पूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम का व्यय योजना में आने वाले व्यय में सम्मिलित होगा। विभाग द्वारा प्रशिक्षण हेतु संस्थान पाठ्यक्रम शुल्क तथा व्यवसाय का अनुमोदन किया जायेगा किन्तु संस्थाऐं इस योजना के अन्तर्गत स्वयं अनुदान हेतु दावा नहीं कर सकेंगी और किसी भी ऐसे प्रशिक्षार्थी को बिना समाज कल्याण विभाग अथवा निगम के अधिकार पत्र के प्रवेश नहीं देंगे। विभाग द्वारा ऐसे किसी भी संस्था को प्रशिक्षण हेतु चयनित नहीं किया जायेगा जिस संस्था का उस व्यवसाय विशेष में प्रशिक्षण देने का तीन वर्ष से कम का अनुभव होगा। इस के साथ ही समाज कल्याण विभाग अथवा निगम द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या व्यवसाय विशेष में संस्था की निर्धारित क्षमता के आधे से अधिक नहीं होगी। विभाग द्वारा प्रायोजित बैच का आकार न्यूनतम 15 का होगा। प्रशिक्षणार्थियों का चयन एक चयन समिति के द्वारा किया जायेगा जिस में एक विषय विशेषज्ञ, प्रशिक्षण संस्था का प्रतिनिधि तथा एक समाज कल्याण विभाग अथवा निगम का अधिकारी सदस्य होंगे। प्रशिक्षणार्थी का दक्षता का परीक्षण ट्रेनिंग संस्था से अन्यत्र किया जायेगा। यदि आवश्यक हुआ तो उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम वाह्य परीक्षक की व्यवस्था करेगा। प्रशिक्षण हेतु प्रति लाभार्थी प्रतिमाह रुपये 2500/– किया जायेगा जिसके अन्तर्गत प्रचार, चयन, पाठ्यक्रम सामग्री, प्रमाण पत्र, निरीक्षण, कोर्स की अवधि में निरीक्षण भ्रमण, परीक्षा शुल्क तथा अनुश्रवण हेतु पत्राचार आदि पर व्यय सम्मिलित होगा।

कौशल अभिवृद्धि प्रशिक्षण मूलतः स्वरोजगारियों हेतु किया जाता है। इस का उद्देश्य प्रशिक्षणार्थी की दक्षता को बढ़ाना है ताकि वह व्यक्ति अपनी दक्षता एवं उत्पादकता में सुधार ला सके। यह प्रशिक्षण संस्थागत अथवा असंस्थागत हो सकता है। यह प्रशिक्षु प्रशिक्षण अथवा प्रशिक्षक आधारित प्रशिक्षण हो सकता है। चूँकि इस प्रशिक्षण का कोई निर्धारित कार्यक्रम नहीं है इस लिए इसकी प्रति इकाई लागत भी आंकलित नहीं की जा सकती। उदाहरण स्वरूप अनुसूचित जातियों के शिल्पियों का जो रिंगाल का कार्य करते हैं, की दक्षता बढ़ाने हेतु त्रिपुरा से दक्ष बांस शिल्पी को बुलाना अथवा गुड़गॉव के मारुति ड्राइविंग स्कूल से टूरिस्ट टैक्सी आपरेटरों को ड्राइविंग की ट्रेनिंग देने हेतु विशेषज्ञ

बुलाना अथवा स्थानीय ऊनी बुनकरों को उन्हीं के निवास स्थान पर प्रशिक्षण देने हेतु जम्मू एवं कश्मीर से विशेषज्ञ बुनकर बुलाना अथवा मिस्त्री स्टील फैब्रिकेशन, पत्थर नक्काशी आदि के प्रशिक्षण हेतु आई.टी.आई. रुड़की का सहयोग लेना आदि। इसलिए इस योजना के अन्तर्गत प्रथम वर्ष के लिए एक मुश्त रूपये 10.00 लाख की धनराशि प्रस्तावित की जाती है।

दक्षता पुर्नप्रशिक्षण का तात्पर्य ऐसे प्रशिक्षण से है जिसके अन्तर्गत छटनीशुदा कर्मचारियों को नये तकनीकि की जानकारी देना, असंगठित क्षेत्र के रोजगारियों की प्रशिक्षण देना तथा स्वरोजगारी सेवायोजकों जो नई विपणन की दक्षता हासिल करना चाहें, को सम्मिलित किया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत प्रति प्रतिभागी एक माह के प्रशिक्षण हेतु अधिकतम रुपयें 3500/– व्यय किया जायेगा।

5. सहायता सुविधाऐं: यह अपने आप में एक आश्चर्यजनक पहलू है कि अनुसूचित जाति और जनजाति जो समाज का सब से तिरोहित एवं तृस्कृत समूह है एवं जिन्हें संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त है उस समूह को अपनी गरीबी एवं सामाजिक विभेद से लड़ने हेतु मात्र एक बार ऋण एवं अनुदान देकर भुला दिया जाता है। इस प्रकार अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों का अपने आर्थिक व्यवसाय को सुदृढ़ करने एवं शासकीय ऋण चुकाने में असफल होना आश्चर्यजनक न होकर एक स्वाभाविक पहलू है। इस लिए अनुसूचित जाति के उद्यमियों को सामाजिक एवं आर्थिक सुधार की चुनौतियों का सामना करने हेतु अतिरिक्त सहायता प्रदान कराना आवश्यक है। इस से सामाजिक और आर्थिक रूप से अत्यन्त सीमान्त में स्थित समुदाय को अपनी आजीविका को सफलतापूर्वक संचालित करने हेतु उपयुक्त वातारण मिलेगा।

चूँकि सामाजिक रूप से बहिष्कृत इस गरीब समुदाय के लिए अभी तक सुदृढ़ आजीविका निर्वहन का आधार तैयार करने हेतु कोई सहायक सुविधाऐं प्रदान नहीं की गई हैं, इस लिए इस प्रकार की सुविधाऐं जुटाने हेतु साधन एवं प्रकिया निर्धारित करना आवश्यक है। इस मद हेतु योजना के प्रथम वर्ष के लिए रुपये 10.00 लाख की एक मुश्त धनराशि का प्राविधान प्रस्तावित है। इसके अन्तर्गत जो गतिविधियॉ कियान्वित की जायेंगी उनमें परामर्श, भ्रमण, उद्यम चलाने हेतु तकनीकि सहयोग, विपणन सूचनाऐं तथा व्यापारिक मेलों के माध्यम से विपणन के अवसरों को बढ़ाना, आय एवं ऋण वसूली का अनुश्रवण, बैंक और सामान आपूर्तिकर्ता, ऋणदाता तथा विभिन्न कर निर्धारण कर्ताओं के साथ आने वाली समस्याओं का समाधानीकरण आदि सुविधाएं सम्मिलित की जाती हैं।

6. अवस्थापना विकास: व्यवसाय विकास हेतु अवस्थापना विकास एक आवश्यक शर्त है। अवस्थापनाओं में मुख्यतः संचार सुविधा, कच्चे माल एवं बाजार की सुविधा, सामुदायिक सुविधाऐं , विपणन की गतिविधियों का संगठन, नये डिजायन तकनीकों का विकास, उन्नत मशीनों तथा नई तकनीकों का उपयोग एवं उत्पादकता वृद्धि सम्मिलित है। इन आवस्थापनाओं की आवश्यकता आर्थिक किया–कलापों के अनुरूप निर्धारित होगी। अवस्थापना विकास मुख्यतः राज्य द्वारा निर्धारित प्राथमिकता क्षेत्रों पर निर्धारित होगी। जैसे,

पर्यटन सेवाएं, बॉस आधारित उद्योग, बेमौसमी सब्जी या ताजी सब्जियॉ एवं फूल, मसाले एवं जड़ी बूटियॉ, औषधि एवं सुगन्धित पौधों और जैविक उत्पाद(फसल एवं पशुपालन उत्पाद) मुर्गी पालन, हस्त शिल्प, हथकरघा तथा सूचना प्रोद्योगिकी सेवाएं आदि।

कृपया तद्नुसार उपर्युक्त योजनाओं को जनपद स्तर पर कार्यान्वित कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

यह आदेश वित्त विभाग को सहमति से जारी किए जा रहे है।

भवदीय,

(एस. के. मुद्गल)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त

संख्या 87(1)/XVII(1)/2004–10/04. तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजि सचिव, श्री राज्यपाल महोदय,उत्तरांचल।
2. निजि सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तरांचल शासन।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्ड़ल पौड़ी/कुमाऊ मण्ड़ल नैनीताल।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल बहुद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लि. देहरादून
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल।
8. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरांचल।

आज्ञा से,

(के. एस. दरियाल)
अपर सचिव